न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 51/25 GCMS NO 2025/78

हनुमान सहाय पुत्र उमराव सिह जाति गुर्जर निवासी बाढमहासिहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. मोहन सिह पुत्र हनुमान सहाय
2. सुगरवती पत्नि हनुमान सहाय
3. गोरधनी पत्नि हरज्ञान
4. शिवराम सिह पुत्र गयाजीत सिह समस्त जातियान गुर्जर निवासी बाढमहासिहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली
6. उप पंजीयक टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 25/24 निर्णय दिनांक 22.8.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुनिल कुमार जिंदल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री हंसराम गुर्जर

दिनांक 27.5.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.8.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम जिला करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बाढमहासिहपुरा की आराजी खसरा न0 111/391 रकबा 0.04, 112 रकबा 0.30, 124 रकबा 1.56, 466 रकबा 0.29, 467 रकबा 0.01, 468 रकबा 0.58, 469 रकबा 0.57 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.01 है0 मे गैरसायलान न 0 1 सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज एवं दखील है। खसरा न0 465 रकबा 0.5. 545 रकबा 0.10, 557 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.90 है0, मे गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/2 का, गैरसायल संख्या 2 हिस्सा 1/8 का, गैरसायल न0 3 हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात सायलान एवं गैरसायलान न0 1 के बुजुर्गो से विरासत मे मिली है। सायलान गैरसायल न0 1 का पुत्र है। जिनको वाईबर्थ अपने पिता गैरसायल न0 1 की आराजी मे नोशनल हिस्से के अधिकार है तथा अपने नोशनल हिस्सा 1/3 हिस्से की खातेदारी अपने हक मे कराने का अधिकारी है। इसी प्रकार सायला न0 2 गैरसायल न0 1 की पत्नि है। जिसको अपने पति का विरासत मे मिली आराजी मे हिस्सा 1/3 की खातेदारी अपने हक मे कराने का कानूनी अधिकार है। गैरसायल न0 1 गलत संगत मे है नशा पता करता है। आये दिन अपने नाम दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

भूमि मे से सायलान के हिस्से की भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देता रहता है। दिनांक 20.5.24 को सायलान अपने हिस्से की आराजी मे आगामी फसल के लिए सूल बबूल साफ कर रहे थे कि गैरसायल न0 1 आया और कहा कि तुम इस आराजी पर आना छोड दो इस आराजी की खातेदारी मेरे नाम है। मै इस आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करूगा। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अत: गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम बाढमहासिहपुरा की आराजीयात खसरा न0 111/391 रकबा 0.04, 112 रकबा 0.30, 124 रकबा 1.56, 466 रकबा 0.29, 467 रकबा 0.01, 468 रकबा 0.58, 469 रकबा 0.57 है0, 465 रकबा 0.55, 545 रकबा 0.10, 557 रकबा 0.25 है0 को रहन बय नही करे , रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायल न0 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे गैरसायल/अपीलांट की तामिल नही होने के बाबजूद भी तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही की गई। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के आदेशिका दिनाक 21.6.24 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्मन तामील नही आये, ना ही गैरसायल न0 1 व 2 द्वारा नोटिस रजिस्ट्री की रसीद मे ट्रेकिग रिपोर्ट पेंश की, केवल दावे मे प्रस्तुत नोटिसो पर परिवारजनो की तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। जबकि मूल वाद के सम्मन पर अपीलांट हनुमान सहाय की तामिल पर तामिल कुन्नदा द्वारा हनुमान सहाय के नोटिस पर गोरधनी नाम की पत्नि को नोटिस देना बताया है। जबकि अपीलांट की पत्नि का नाम गोरधनी नही है बल्कि सुगरवती है। जो रेस्पो0 न0 2 है तथा गोरधनी मूलवाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे गैरसायल न0 2 है जो हरज्ञान की पत्नि है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को नही देखकर तामील को सही मानकर कानूनी भूल की है और अपीलांट की तामील को अपीलांट की पत्नि (परिजन) मानकर विधि विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर दी। जबकि अपीलांट को उक्त मुकदमे की जानकारी नही होने दी तथा अदालत मातहत अपनी आदेशिका दिनांक 21.6.24 मे पेरोकार सरकार की उपस्थिति मानते हुए जबाब का मौका दिये बिना दिनांक 21.6.24 को पत्रावली बहस मे विधि विरूद्व नियत कर दी गई। जो विधि विरूद्व है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही था कि अपीलांट गलत सगति मे रहा हो या अपीलाट किसी प्रकार नशा करता हो ऐसी कोई भी साक्ष्य रेस्पो0 न0 1 व 2 द्वारा पत्रावली मे दस्तावेजी साक्ष्य या पडोसिया के अन्य व्यक्ति का शपथ पत्र पेश नही किया जिससे साबित हो कि अपीलांट को नशे व गलत संगति रखता हो इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपीलांट के जीवनकाल मे अपीलांट की जमीन को हडपना चाहते है और रेस्पो0 न0 2 जो अपीलांट की पत्नि है अपीलांट के साथ पिछले 25 वर्षो से नही रह रही है बल्कि रेस्पो0 न0 1 को बहका कर यह मुकदमा प्रस्तुत करवा दिया है। उक्त तथ्य की जॉच किये बिना ही अदालत मातहत द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित करने मे भारी तथ्यात्मक व कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो0 न0 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है तथा अपीलांट खातेदार है तथा ना ही रेस्पो0 न0 1 व 2 द्वारा अपना कब्जा साबित किया है। उक्त तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पो0 न0 1 व 2 द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे कानूनन प्रोपर प्रतिवादीगणो की तामिल होना आवश्यक है। जबकि अपीलांटगण को अदालत मातहत का मुकदमे की सूचना नही मिली, ना ही प्रोपर सम्मनो की तामिल हुई। इसलिए भी अदालत मातहत द्वारा एक तरफा मे अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने मे भारी भूल एवं तथ्यात्मक भूल की है। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी दिनांक 22.4.25 को हुई जब रेस्पो0 न0 1 व 2 द्वारा अपीलांट को धमकी दी कि रेस्पो0 न0 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के सबंध मे न्यायालय मे मुकदमा पर अपीलांट की फर्जी तामिल करवा कर बिना सूचना दिये ही एक तरफा मे स्थगन आदेश जारी करवा लिया जिस पर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की तरफ से दिनांक 2.5.25 को को मुकदमे की जानकारी कर निर्णय की नकल लेने बाबत दिनांक 2.5.25 को आवेदन किया तथा दिनांक 5.5.25 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट के विरूद्व फर्जी तामिल होने व मुकदमे मे एक पक्षीय निर्णय की जानकारी हुई। चूकि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नही थी इसलिए अपीलांट उक्त निर्णय की अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत नही कर सका। निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है इसलिए अपील पेश करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.8.24 अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अपीलांटगण की तामिल नही हुई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सम्मन अपीलांटगण को तलब किया गया है। अपीलांटगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है साथ अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन दावे मे अपीलांटगण की तामिल होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाटगण की विधिवत तामिल मानी है। जब अपीलाटगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नही हुए तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकिया के तहत ही प्रकरण को बहस मे नियत किया गया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन मिथ्या है। जहां तक अपीलांट के गलत संगत मे होने के सबंध मे साक्ष्य का प्रश्न है तो वह विनिश्चय दावे मे तय होगा हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे केवल प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्रईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना होता है। उक्त तीनो बिन्दु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/रेस्पो0 के पक्ष मे बखूबी साबित माने है। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत हक एवं अधिकारो का निर्धारण दावे मे साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकेगे। पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता नही बढे एवं भूमि वादग्रस्त किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही हो इस विधिक तथ्य को देखते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाई रखे जाने के आदेश दिये गये है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही है जबकि सत्यता यह है कि रेस्पो0 का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलाट/गैरसायल न0 1 को विरासत मे प्राप्त हुई है इस कारण उक्त आराजीयात मे सायलान/रेस्पो0 नोशनल शेयर प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की कोई तामिल नही हुई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सीपीसी के प्रावधानो के तहत गैरसायलान अर्थात अपीलांटगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये है। इससे जाहिर है कि अपीलांटगण की विधिवत तामिल हुई है। अपीलाटगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा की वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 का किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नही है। इस सबंध मे उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात के हक एवं अधिकारो का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन दावे मे साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकेगे। क्योकि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट/गैरसायल न0 1 को विरासत मे प्राप्त हुई है तथा रेस्पो0 एवं अपीलांट आपस मे पिता पुत्र एवं पति पत्नि है। हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु सायलान/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित माना है। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता नही हो तथा भूमि किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही हो इस विधिक तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 25/24 मे पारित निर्णय दिनांक 22.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर